रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1970/श्रावण 23, 1892

No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1970/SRAVANA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th August 1970

SUBJECT: *–Advertisement to be made by applicants*

No. 122-ITC(PN)/70. –Attention is invited to paragraph 137(1) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1970 according to which the applicants whose requirements in respect of capital goods or machine tools exceed Rs. 7.5 lakhs in value are required to advertise their requirements in the prescribed manner, so that indigenous manufacturers have an opportunity of offering to supply the goods in question.

2. It is clarified that the advertisement procedure, as applicable to import of capital goods, for a value exceeding Rs. 7.5 lakhs, will also apply to import of heavy electrical plant and machinery as well as cognate equipments essential for power plant (either for generation or transformation of electric power), required by factories under the provisions of paragraph 154 of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1970.

3. The following new sub-paragraph may be deemed to have been inserted under paragraph 154 in the aforesaid Hand Book:—

"154(3) The advertising procedure laid down in paragraph 137, as applicable to import of Capital goods will also apply to import of Heavy Electrical Plant and Machinery."

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

विषय : आवेदकों द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन ।

सं० 122 आई० टी० सी० (पी० एन०/70: —आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैंडबुक, 1970 के पारा 137 (1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, उन आवेदकों के लिए, जिनकी पूंजीगत माल अथवा मशीन औजार की आवश्यकताएं 7.5 लाख से अधिक मूल्य की हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आवश्यकताओं का विज्ञापन निर्धारित रूप में करें, ताकि देशी विनिर्माताओं को विषयाधीन माल देने का अवसर मिले ।

2. यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि 7.5 लाख से अधिक मूल्य के पूंजीगत माल के आयात के लिए जैसी विज्ञापन कार्यविधि होगी, वही आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैंडबुक, 1970 के पारा 154 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत फैक्ट्रियों द्वारा मांग किए जाने पर, भारी बिजली यंत्र तथा मशीनें और साथ ही साथ कारनेट उपस्कर जो शक्ति यंत्र (या तो विद्युत शक्ति के प्रजनन के लिए या रूपान्तरण के लिए आवश्यक हैं, उनके आयात के लिए भी लागू होंगी ।

3. उपर्युक्त हैंडबुक के पारा 154 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-पारा को अन्तर्निविष्ट किया गया समझा जाएगा :—

"154(3) पारा 137 में निहित विज्ञापन कार्यविधि, जो पूंजीगत माल के आयात के लिए लागू होगी, वही भारी बिजली यंत्र तथा मशीनों के आयात के लिए भी लागू होंगी ।"

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970